विद्या परिषद की बैठक के प्रस्ताव 18.07.2018 –

प्रस्ताव क्र.–01 स्नातक पाठयक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव

माह जून 2017 में सम्पन्न बी.ए. / बी.एससी. / बी.कॉम./ बी.एससी. गृहविज्ञान / बी.सी.ए. भाग–एक/दो/तीन एवं डिप्लोमा पाठयकमों (डीसीए) के अध्ययन मंडलों की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया। अध्ययन मंडलों ने पंचम व षष्ठम वर्ष हेतु सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुशंसित किए साथ ही आनर्स पाठयक्रम भी अनुशंसित किए गए। प्रथम,द्वितीय एवं तृतीयव चतुर्थ वर्ष हेतु पाठ्यक्रमों का निर्धारण करते हुए यथावत संस्तुति दी। अध्ययन मंडलों द्वारा निर्धारित व विद्या परिषद द्वारा संस्तुत विभिन्न विषयों के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, जन्तु विज्ञान, संगीत मनोविज्ञान संस्कृत और कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान एवं बी.सी.ए. के पाठयक्रम अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव

जून 2017 में सम्पन्न हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, जन्तु विज्ञान, मानव विकास, आहार व पोषण एवं वाणिज्य अध्ययन मंडलों की बैठकों में स्नातकोत्तर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) , ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, डिप्लोमा पाठयकम (पी.जी.डी. सी.ए.) के पाठयकम बनाये गये। विद्या परिषद की बैठक में पारित पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रोन्ननत नियम में संषेाधन का प्रस्ताव–

बिलासपुर वि.वि. के Standing Committee में महाविद्यालय के प्राचार्य व परीक्षा नियंत्रक शामिल हुए थे इस बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

1. छठवें सेमेस्टर में दो विषयों में बेक प्राप्त छात्राओं के लिये त्वरित विशिष्ट (Special Exam.) का प्रावधान हो।
2. पांचवे सेमेस्टर में दो बेक प्राप्त छात्राओं को भी छठवें सेमेस्टर में परीक्षा देने की पात्रता होगी।

इस व्यवस्था से छात्राओं को एक अकादमिक वर्ष का नुकसान नहीं होगा।

महाविद्यालय के विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 13/07/2017 को यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित हुआ। साथ ही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए पूर्व में निर्धारित तृतीय सेमेस्टर में एक बेक प्राप्त छात्रा को छठवें सेमेस्टर में बैठने की अनुमति के प्रावधान (GB Meeting 10.03.2017) को हटाने का निर्णय लिया गया। शासी निकाय द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04 <u>स्नातकोत्तर प्रष्न पत्र के स्वरुप में परिवर्तन का प्रस्ताव</u>

महाविद्यालय में सेमेस्टर, आनर्स व सीबीसीएस प्रणाली स्नातक स्तर पर क्रियान्वित हो चुकी है, स्नातक स्तर पर प्रश्न पत्रों का स्वरुप भी परिवर्तित हो चुका है। स्नातक स्तर पर हुए इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर भी प्रश्न पत्र के स्वरुप में परिवर्तन आवश्यक है। विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 13/07/2017 में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रश्न पत्र का स्वरुप निम्नानुसार निर्धारित किया गया।

Marks Scheme for P.G. –

Types of Questions	Questions to be set from each unit/ contents	Questions to be solved	Marks assigned	Total Marks
Objective / In few words	10	06	02	12
Short Answer type Questions	07	04	05	20
Long / Eassy type of question (Word limit 200 Max)	07	04	12	48
			Total -	80

आंतरिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों का यथावत् रहेगा। विद्या परिषद द्वारा संस्तुत इस प्रस्ताव पर शासी निकाय के सदस्यों ने विचारोपरांत यथावत् पारित किया।

प्रस्ताव क्र. 05 <u>स्नातक पंचम सेमेस्टर में प्रवेष संबंधी प्रकरण पर विचार–</u>

महाविद्यालय के छात्राओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 13/07/2017 में यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय में बेक छात्राओं को सेमेस्टर प्रणाली के 2014–15 के नियमावली के आधार पर पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जा सकता है। विद्या परिषद ने छात्रहित में वर्ष 2014–15 में प्रवेशित छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित किया । विद्या परिषद द्वारा संस्तुत प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रवेश नियम के तहत् छात्राओं का प्रवेश हुआ है वह नियम अंतिम वर्ष तक यथावत् रहते है डॉ. होता एवं अन्य सदस्यों ने सहमत होते हुए इसे पारित किया।

वित्त समिति की बैठक के प्रस्ताव 16.09.2017 –

प्रस्ताव – 6 स्वशासी विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय में वृध्दि का प्रस्ताव।

महाविद्यालय में अगस्त 2015 से स्वशासी विभाग में कम्प्यूटर टायपिस्ट कार्यरत है। वित्त समिति एवं तात्कालिक प्राचार्य के सहमति से इसे 8000/– रु. प्रतिमाह मानदेय पर रखा गया था। इस समय स्वशासी विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों का संपादन इनके द्वारा किया जाता है (प्रश्न पत्र टाइप करना, अंकसूची, अन्य कार्यालयीन कार्य इत्यादि) वर्तमान में सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात् कार्य की अधिकता है। पूर्व में कार्यरत टायपिस्ट को 15000/– रु प्रतिमाह दिया जाता रहा है अतः वर्तमान में स्वशासी विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर को 15000/– रु. प्रतिमाह दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा अगली बैठक में पुर्नविचार हेतु रखे जाने की संस्तुति की। 03.01.2018 को वित्त समिति की बैठक में विचारोपरांत इसे स्वीकृत व पारित किया गया। प्रस्ताव यथावत् पारित।

प्रस्ताव – 7 आंतरिक मूल्यांकन हेतु शुल्क रखने के संबंध में विचार।

स्वशासी विभाग में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रति सेमेस्टर दो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं कराने का प्रावधान है। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए छात्राओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। वर्तमान समय में स्वशासी विभाग में आंतरिक मूल्यांकन हेतु होने वाला व्यय अनुमानतः 2 लाख रु(प्रति मूल्यांकन परीक्षा) है। अतः प्रति सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के व्यय को देखते हुए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा शुल्क 50/– जो कि शुल्क प्रवेश के समय लेने का वित्त समिति द्वारा संस्तुत व पारित प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया इस प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ॰ यू.के. श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि आप आंतरिक मूल्यांकन शुल्क के रुप में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रख सकते हैं। स्वशासी परीक्षा शुल्क के साथ ही इसे समन्वित कर लेना चाहिए।शासी निकाय के सभी सदस्यों ने स्वशासी परीक्षा शुल्क में 50/– रु. अथवा प्रवेश के समय स्वशासी शुल्क में 50/– रु. की वृध्दि कर इस राशि को समायोजित करने की अनुशंसा की एवं उपरोक्तानुसार आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा शुल्क लेने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया।

प्रस्ताव – 8 वित्त समिति द्वारा अवलोकित व पारित वर्ष 2016–17 का आय–व्यय तथा 2017–18 का अनुमानित बजट

शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत वित्त समिति द्वारा अवलोकित व पारित वर्ष 2016–17 का आय–व्यय तथा 2017–18 का अनुमानित बजट का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

प्रस्ताव – 9 स्वशासी विभाग में सहायक परीक्षा नियंत्रक रखने संबंधी प्रस्ताव

सत्र 2016–17 में पूर्व प्राचार्य द्वारा स्वशासी विभाग में परीक्षा संबंधी कार्य की अधिकता को देखते हुए 02 अधिकारियों को रखा गया था जिन्हें सहायक परीक्षा नियंत्रक का मानदेय प्रदेय था। स्वशासी प्रणाली के अंतर्गत महाविद्यालय की शासी निकाय के द्वारा स्वशासी परीक्षा विभाग में केवल 04 पद सहायक परीक्षा नियंत्रक के स्वीकृत है। अतः वित्त समिति से नये पद स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति ने इसे अस्वीकृत किया साथ ही यह भी अनुशंसा की कि परीक्षा कार्य है की अधिकता को देखते हुए परीक्षा अवधि हेतु विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए किसी

प्राध्यापक को यह कार्य एक निश्चित समयावधि के लिए दिया जा सकता है। एवं इस अवधि हेतु इसे सहायक परीक्षा नियंत्रक का मानदेय प्रदत्त किया जावेगा। इस प्रस्ताव पर विचार कर सर्वसम्मति से पारित किया।

वित्त समिति की बैठक के प्रस्ताव – 03.01.2018

प्रस्ताव – 10 पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क में वृध्दि का प्रस्ताव।

पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन के दरों में वशध्दि को देखते हुए पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालयीन पत्रिका मुद्रण शुल्क में पूर्व की दरों में (50/–) परिवर्तन करते हुए 75/– रु0 करने का वित्त समिति द्वारा पारित प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने प्रकाशन की दरों में वृध्दि को देखते हुए इसे 75/– के स्थान पर 100/– करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव पारित किया।

प्रस्ताव – 11 विश्वविद्यालय से उपाधि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु देय शुल्क पर विचार।

महाविद्यालय में स्वशासी प्रणाली के अन्तर्गत कार्य संपादित हो रहा है। वि.वि. से उपाधि प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर हेतु शुल्क के रुप में उपाधि शुल्क(200 रु.) का 05 प्रतिशत राशि (10 रु.) विश्वविद्यालय को प्रतिहस्ताक्षरित शुल्क के रुप में भेजने का प्रस्ताव संस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डॉ. यू.के. श्रीवास्तव ने कहा कि आज तक इस प्रकार का शुल्क वि.वि. को दिया नहीं जाता रहा है तथापि नवीन व्यवस्था के तहत् इसे रखा जा सकता है। प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरांत पारित।

प्रस्ताव – 12 अध्यक्ष की अनुमति से डॉ. किरण बाजपेयी व परीक्षा नियंत्रक डॉ. ए. पी. गोस्वमी द्वारा महाविद्यालय से 31 मार्च 2018 को सेवा निवृत्त होने वाले श्री बैसाखू यादव की सेवाएं स्वशासी परीक्षा विभाग में लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं इस कार्य हेतु 10000/– रु. मानदेय का प्रस्ताव रखा गया था। सदस्यों ने श्री बैसाखू यादव के दीर्घकालीक अनुभव व कुशलता पूर्ण कार्य को देखते हुए सहर्ष ही सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की अनुशंसा की व पारित किया।

शासी निकाय की बैठक दिनांक 24.03.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 24.03.2018 को शासी निकाय की बैठक महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे –

1– डॉ. एस.एल.निराला, प्राचार्य

2– डॉ. वी.टी. पाटिल, अध्यक्ष

3– डॉ. एच.एस. होता, सदस्य

4– डॉ. आर.एन पाण्डेय, सदस्य

5– डॉ. बी.एल. गोयल, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा

6– डॉ. मुक्ता दुबे, सदस्य

7– डॉ. यू.के. श्रीवास्तव, सदस्य

8–डॉ. ए.पी. गोस्वमी, नियंत्रक, स्वशासी प्रकोष्ठ

9– डॉ. कावेरी दाभड़कर, प्रभारी स्वशासी समिति

बैठक में सर्वप्रथम प्राचार्य, डॉ. एस.आर कमलेश द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए डॉ. श्रीमती कावेरी दाभड़कर द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त का पठन किया गया। कार्यवृत्त पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। तत्पश्चात वित्त समिति एवं विद्या परिषद द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को क्रमानुसार शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

प्राचार्य
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)